

कार्यालय-आदेश

डी.एल.एड, सत्र 2021-23 में विज्ञान संकाय में 50 सीट के विरुद्ध ओपेन कॉउन्सेलिंग के आलोक में नामांकन के उपरांत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटि में 01 (एक) सीट रिक्त है। रिक्त सीट को खुली कॉउन्सेलिंग के माध्यम से भरा जाना है। इसके लिए कटऑफ अंक का विवरण निम्न है।

संकाय- विज्ञान

कोटि	रिक्त	कटऑफ अंक (प्रतिशत में)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	01	72.20 से 73.80 तक

खुली कॉउन्सेलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में से कोटिवार/ विषयवार पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को मेधा अंक अवरोही क्रम में सजाने पर जिसका मेधा अंक अधिक होगा उसी का नामांकन किया जायेगा। कॉउन्सेलिंग में वैसे अभ्यर्थी भाग लेंगे जो संस्थान में नामांकन हेतु आवेदन किए हैं कॉउन्सेलिंग की तिथि दिनांक 13.11.2021 एवं 15.11.2021 को 10:30 बजे से 04:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित है। तत्पश्चात् दिनांक 15.11.2021 को ही अभ्यर्थी का चयन कर मेधासूची प्रकाशित की जायेगी। जिसके आधार पर चयनित अभ्यर्थी का नामांकन दिनांक 16.11.2021 एवं 17.11.2021 को किया जायेगा। शुल्क जमा कराने तथा भुगतान रसीद के देने के उपरांत नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। 01 जनवरी 2021 को 17 वर्ष की आयु तथा निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी ही कॉउन्सेलिंग में भाग ले सकेंगे। कॉउन्सेलिंग में उपस्थिति दर्ज होना नामांकन की गारंटी नहीं मानी जायेगी।

12/11/21

17/11/21

12.11.2021

वरीय व्याख्याता-सह- नामांकन प्रभारी
डायट, शिवहर।

कॉउन्सेलिंग में निम्न लिखित मूल प्रमाण-पत्रों / दास्तावेजों के साथ अभ्यर्थी उपस्थित होंगे।

- 01 ऑनलाइन किये गये आवेदन की प्रिंट प्रति जिसमें संबंधित विवरण के साथ-साथ आवेदन शुल्क जमा करने का भी स्पष्ट उल्लेख हो।
- 02 मैट्रिक परीक्षा पास करने का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
- 03 इंटरमिडिएट परीक्षा पास करने का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
- 04 आवासीय प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (जो एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)।
- 05 आरक्षित कोटि एवं विशेष दिव्यांग अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति, EWS / विकलंगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति उपस्थापित करेंगे (यदि लागू हो)। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से दिनांक 10.09.2021 के पूर्व का होना चाहिए। जो आवेदन करते समय Upload किया गया हो तथा Uploaded Documents से मिल रहा हो।
- 06 सभी मूल प्रमाण-पत्र की स्वाअभिप्रमाणित छायाप्रति का दो सेट, दो सेट पासपोर्ट साईज फोटों एवं सभी मूल प्रमाण-पत्र तथा अभिलेख दो फोलडर फाईल में जमा करेंगे।
- 07 सत्यापन के क्रम में प्रमाण-पत्रों में फर्जी पाये जाने की स्थिति में नामांकन के दावे को रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- 08 अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा करायी गयी राशि कभी भी वापस नहीं की जायेगी।
- 09 रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र।

नामांकन के समय अभ्यर्थी निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र उपस्थापित करेंगे।


- 10 अंतिम शिक्षण संस्थान निर्गत विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र (SLC/CLC)
- 11 शिक्षण शुल्क के रूप में सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत विछडा वर्ग के अभ्यर्थी 11.500 (ग्यारह हजार पाँच सौ) एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी 7000 (सात हजार) रुपये शुल्क का भुगतान ऑनलाइन/बैंक खाता के माध्यम से होगा।

12. नामांकन सुनिश्चित होने की स्थिति में अभ्यर्थी को 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि i नामांकन के क्रम में दिये जा रहे सभी Documents सही है। ii प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने की स्थिति में मेरा नामांकन रद्द करते हुए विधिक कार्रवाई की जायेगी। iii इस सत्रावधि में मैं कही/किसी भी संस्थान में नियमित रूप से नामांकित एवं अध्ययनरत नहीं हूँ। iv नामांकन वापसी अथवा रद्द किये जाने की स्थिति में संस्थान में जमा कराये गये शुल्क की वापसी का दावा नहीं करूँगा। संस्थान में 85 प्रतिशत की उपस्थिति सुनिश्चित करूँगा/करुगी, अन्यथा की स्थिति में संस्थान द्वारा कार्रवाई के लिए स्वयं जबावदेह हूँगा/हूँगी।

12 उपर्युक्त सभी शर्तों को पूरा करने पर आपका नामांकन औपबधिक रूप से किया जायेगा।


12/11/21


12/11/2021


12.11.2021

वरीय व्याख्याता -सह-नामांकन प्रभारी
डायट, शिवहर।